फैसला: इलेक्ट्रिक वाहन पर कंपनियों को वारंटी देनी होगी

- ई-वाहनों पर बैटरी समेत देनी होगी व्यापक वारंटी
- भारी उद्योग मंत्रालय ने बनाए कंपनियों के लिए नियम

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। तीन श्रेणी में आने वाले ई-वाहनों की वारंटी को किलोमीटर एवं अवधि के हिसाब से तय किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, ग्राहकों के प्रति कंपनियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कोशिश है। इसलिए पीएम-ई ड्राइव योजना से जुड़ी अधिसूचना में प्रोत्साहन के साथ गारंटी को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, कंपनियों को ई-वाहनों की बैटरी समेत अन्य पार्ट पर वारंटी देनी होगी। वारंटी के न्यूनतम मानक तय किए गए हैं, जो हर कंपनी को अपनाने होंगे। अभी सिर्फ दो पहिया, तीन पहिया (ई-रिक्शा व ई-कार्ट) और ई-तीन पहिया (एल-5) शामिल है। ई-बस पर वारंटी देना अनिवार्य किया गया है। › वारंटी की अवधि P13